बिहार सरकार

अभियंता प्रमुख का कार्यालय

लघु जल संसाधन विभाग,

जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना

E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

सं0सं0-अभिप्र0/ल0ज0सं0वि0/परिवाद-11-12/2026 /पटना, दिनांक-

प्रेषक,

ई0 सुनील कुमार,
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर ।

विषय - **मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के अंतर्गत निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर दिनांक-02.06.2026 को गठित समिति की आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के अंतर्गत निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की समीक्षात्मक बैठक अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक-**02.06.2026** को आहूत की गयी। उक्त बैठक में लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की समीक्षा हुई :-

क्र0	प्रमण्डल का नाम	निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	कार्य का नाम
1	2	3	4
1	ल0सिं0प्रम0, लखीसराय	01/2026-27, ग्रुप सं0-02, टेंडर आई0डी0-130618	महरथ तालाब/ आहर का जीर्णोद्धार कार्य ।

अतएव उक्त बैठक की कार्यवाही संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

अनु0:- यथावत्।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सुनील कुमार)

अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञापांक :- /पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- यथावत्।

ह0/-

अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञापांक :- 698 /पटना, दिनांक :- 02.06.26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को 01 (एक) अदद समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथावत्।

अभियंता प्रमुख,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

सौरभ
02/06/2026

D/PUSHPA/Draft 2026-27

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना।
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–01/2026–27, ग्रुप संख्या–02 महरथ तालाब/आहर का जीर्णोद्धार कार्य में प्राप्त परिवाद पर अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर गठित समिति की कार्यवाही :–			
1.	कार्य का नाम	:–	महरथ तालाब/आहर का जीर्णोद्धार कार्य।
2.	निविदा आमन्त्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम	:–	लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय
3.	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:–	164.267 लाख
4.	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:–	164.267 लाख
5.	परिमाण विपत्र की राशि	:–	154.788 लाख
6.	कार्य समाप्ति की अवधि	:–	एकरारनामा की तिथि से 12 माह
7.	निविदा की प्रक्रिया	:–	E-Tendering
8.	निविदा प्राप्ति की तिथि	:–	17.04.2026
9.	प्राप्त निविदा की संख्या	:–	11
10.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा तकनीकी निविदा समिति की बैठक की तिथि एवं कार्यवाही।	:–	संलग्न (पृ0सं0–11–08)
11.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा समर्पित तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी	:–	संलग्न (पृ0सं0–05)
12.	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:–	नहीं
13.	परिवादी का नाम	:–	संजय कुमार सोनू, पिता–देवनागरी चौधरी, ग्राम–लदोरा, डाकघर–साहसी, थाना–अलौली, जिला–खगड़िया, राज्य–बिहार

14.	संवेदक द्वारा दिया गया परिवाद की स्थिति	इनके द्वारा दिए गए परिवाद में यह उल्लेख किया गया है कि Key Equipment देने वाले व्यक्ति द्वारा शपथ पत्र सही नही दिये जाने के कारण बताकर उक्त निविदा में असफल कर दिया गया। उक्त विषय पर कहना है कि मेरे द्वारा लिए गये भाड़े पर Key Equpemient का शपथ पत्र सही डाला गया है अगर किसी शपथ कर्ता का शपथ पत्र गलत है तो उसका ब्यौरा देने की कृपा की जाय। साथ ही मुझे उक्त निविदा में तकनीकी रूप से सफल करने की कृपा की जाय।
15.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर स्तर की निविदा समिति की अनुशंसा	इनके द्वारा दिये गये परिवाद के आलोक में इनके तकनीकी बीड की पुनः समीक्षा की गई। पुनः समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा भाड़े पर लिए गए Key Equipment से सबंधित सभी वाहन मालिक का शपथ पत्र सही नही पाया गया। वाहन मालिक द्वारा शपथ पत्र में यह शपथ लिया गया है कि 01. That I Shall Use The Excavator After Taking it From Sanjay Kumar Sonu S/o-Dev Nagari Coudhary, Residant Of Village Ladoura Po Shasi Ps Alauli Dist Khagaria Bihar on rent Basis As And When Required For Execution Of Contract. इस प्रकार सभी वाहन मालिक शपथकर्ता द्वारा शपथ पत्र में गाड़ी भाड़े पर देने की जगह निविदादाता संजय कुमार सोनू से लेने का शपथ पत्र संलग्न है जो निविदा शर्त के कंडिका 45 के अनुरूप नहीं है। अतः परिवादी द्वारा दिये गये परिवाद को अमान्य किया जा सकता है। तकनीकी मुल्यांकन समिति द्वारा लिए गए गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।
16.	अभियंता प्रमुख स्तर पर परिवाद निस्तारण हेतु समिति की समीक्षा	परिवादी के परिवाद की समीक्षा किया गया । समीक्षोपरांत मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी निविदा मूल्याकंण समिति की पुर्नसमीक्षा से सहमत होते हुए परिवादी के परिवाद को **अमान्य** किया जाता है ।

अधीक्षण अभियंता(गु0),
अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

मुख्य अभियंता
(यो0+अनु0+गु0),
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

सं0सं0-अभिप्र0/ल0ज0सं0वि0/परिवाद-11-11/2026 /पटना, दिनांक-

प्रेषक,

ई0 सुनील कुमार,
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर ।

विषय - **मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के अंतर्गत निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर दिनांक-02.06.2026 को गठित समिति की आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध मे कहना है कि मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के अंतर्गत निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की समीक्षात्मक बैठक अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक-**02.06.2026** को आहूत की गयी। उक्त बैठक में लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय के निविदा के विरूद्ध प्राप्त परिवाद की समीक्षा हुई :-

क्र0	प्रमण्डल का नाम	निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	कार्य का नाम
1	2	3	4
1	ल0सिं0प्रम0, लखीसराय	01/2026-27, ग्रुप सं0-01, टेंडर आई0डी0-130617	बल्लोपुर आहर/ पोखर का जीर्णोद्धार कार्य ।

अतएव उक्त बैठक की कार्यवाही संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

अनु0:- यथावत्।

विश्वासभाजन
ह0/-
(सुनील कुमार)
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञापांक :- /पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु0:- यथावत्।

ह0/-
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

ज्ञापांक :- 699 /पटना, दिनांक :- 02.06.26

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को 01 (एक) अदद समीक्षा प्रतिवेदन की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु0:-यथावत्।

अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना ।

D/PUSHPA/Draft 2026-27

बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना।
E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

लघु सिंचाई प्रमण्डल, लखीसराय अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–01/2026–27, ग्रुप संख्या–01 बल्लोपुर आहर/पोखर का जीर्णोद्धार कार्य में प्राप्त परिवाद पर अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के स्तर पर गठित समिति की कार्यवाही :–

1.	कार्य का नाम	:–	बल्लोपुर आहर/पोखर का जीर्णोद्धार कार्य ।
2.	निविदा आंमत्रित करने वाले प्रमण्डल का नाम	:–	लघु सिंचाई प्रमंडल, लखीसराय
3.	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:–	140.261 लाख
4.	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:–	140.261 लाख
5.	परिमाण विपत्र की राशि	:–	139.166 लाख
6.	कार्य समाप्ति की अवधि	:–	एकरारनामा की तिथि से 12 माह
7.	निविदा की प्रक्रिया	:–	E-Tendering
8.	निविदा प्राप्ति की तिथि	:–	17.04.2026
9.	प्राप्त निविदा की संख्या	:–	09
10.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा तकनीकी निविदा समिति की बैठक की तिथि एवं कार्यवाही।	:–	संलग्न (पृ0सं0–09–06)
11.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर द्वारा समर्पित तकनीकी बीड की तुलनात्मक विवरणी	:–	संलग्न (पृ0सं0–05)
12.	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:–	नहीं
13.	परिवादी का नाम	:–	गौतम कुमार, पिता–सचिन्द्र प्रसाद सिंह, ग्राम–राणा प्रताप नगर, डाकघर–चास, थाना–चास, जिला–बोकारो, राज्य–झारखण्ड

D/PUSHPA/Pariwad 26

14.	संवेदक द्वारा दिया गया परिवाद की स्थिति	इनके द्वारा दिए गए परिवाद में यह उल्लेख किया गया है कि Debar/Black Listing या अन्य शपथ पत्र जो निविदा शर्त में निहित है वही शपथ–पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का हो अलग–अलग ग्रुपों में निविदा में संलग्न करना है। वांछित मशीन एवं इंजीनियर से संबधित शपथ पत्र अलग–अलग निविदावार संलग्न करना अनिवार्य नहीं है। पूर्व में भी अन्य निविदाओं में समरूप मामले में अन्य संवेदकों के निविदा को मान्य किया गया है। जिस बिन्दु पर मेरे निविदा को मान्य किया गया है, वह बिन्दु Non Essential Item है। Non Essential Item पर निविदा को अमान्य नहीं करना है। मेरे द्वारा निविदा शर्त के अनुरूप वांछित शपथ पत्र अलग–अलग निविदाओं में संलग्न किया गया है तथा मेरा सभी अभिलेख निविदा शर्त के अनुरूप है एवं सभी शपथ पत्र निविदा प्रकाशन की तिथि के बाद का ही है।
15.	मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर स्तर की निविदा समिति की अनुशंसा	इनके द्वारा दिये गये परिवाद के आलोक में इनके तकनीकी बीड की पुनः समीक्षा की गई। पुनः समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा Key personnel से संबधित संलग्न शपथ पत्र, जिसका Serial no-106 Date-09-05-2026 तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या–21 पर संलग्न किया गया हैं। निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–01/2026–27 के ग्रुप संख्या–02 में भी शपथ पत्र, जिसका Serial no-106 Date-09-05-2026 तकनीकी बीड के पृष्ठ संख्या–04 पर संलग्न पाया गया है। इस शपथ पत्र के आधार पर निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–01/2026–27 के ग्रुप संख्या–02 में मान्य किया गया है। एक ही शपथ पत्र दोनो योजनाओं में संलग्न करने से सरकारी राजस्व की हानि है तथा निविदा शर्त के कंडिका 47 के अनुरूप नहीं है। अतः परिवादी द्वारा दिये गये परिवाद को अमान्य किया जा सकता है। तकनीकी मुल्यांकन समिति द्वारा लिए गए गये निर्णय पर निर्णय लेने हेतु अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को भेजने का निर्णय लिया गया।
16.	अभियंता प्रमुख स्तर पर परिवाद निस्तारण हेतु समिति की समीक्षा	परिवादी के परिवाद की समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा निविदा में संलग्न Key personnel से संबधित शपथ पत्र निविदा शर्त के अनुरूप है। अतएव परिवादी के परिवाद को मान्य किया जाता है ।

अधीक्षण अभियंता(मु0),
अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

मुख्य अभियंता
(यो0+अनु0+भू0),
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

मुख्य अभियंता,
लघु जल संसाधन विभा
पटना ।

अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग,
पटना ।

D/PUSHPA/Parivad 26